न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 84/2024 G.C.M.S. No. 2024/336 दर्ज दिनांक : 29.08.2024

अपीलार्थिगण:

1. सुरजमल पुत्र नरसिंह, जाति लोहार, निवासी लोहारों का बास, मादा, तहसील देसूरी व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. चंपालाल पुत्र श्री आशाराम, उम्र 50 वर्ष, जाति मेघवाल, निवासी घाणेराव, तहसील देसूरी व जिला पाली।
2. शांतिदेवी पत्नि वक्तावरसिंह, पुत्री राजूसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी मादा, तहसील देसूरी व जिला पाली।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 31/2021 बअनवान चंपालाल बनाम शांतिदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.06.2024 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी।

पैरोकार–

1. श्री मोतीसिंह पुरोहित, श्री मनोज बैरवा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री शंकरलाल गहलोत, श्री देवेन्द्र गहलोत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः 25.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 31/2021 बअनवान चंपालाल बनाम शांतिदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.06.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि मातहत न्यायालय ने तथ्यों व विधि तथा विधि के सारवान सिद्धान्तों के खिलाफ जाकर आदेश पारित किया है। क्योंकि रेस्पोंडेण्ट चम्पालाल का खसरा नम्बर 1990/1872 पूर्ण रूप से खसरा नं. 1870 से चिपता हुआ है तथा खसरा नम्बर 1872 खसरा नम्बर 1867 जो मुख्य आम रास्ता है, से एडजोईनिंग है तथा अर्सेदराज से उसी रास्ते से रेस्पोंडेट का उसकी कृषि भूमि में आना–जाना रहा है। ऐसी दशा में जहां रेस्पोंडेण्ट को पहले से वैकल्पिक रास्ता खसरा नम्बर 1870 से उपलब्ध है तो नये रास्ते की खोज अवैधानिक है तथा अपीलाण्ट के खसरे नम्बर व सज्जनसिंह का खसरा नं. एक सिरे से जाकर एक जैसे हो जाते हैं तथा वहां से आम मुख्य रास्ता दो फलांग की दूरी पर भी नहीं है, जहां पहले से रास्ता उपलब्ध हों, वहां अन्य रास्ता की खोज नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

की जा सकती हैं। मातहत न्यायालय के आदेशानुसार तहसीलदार देसूरी को जांच रिपोर्ट हेतु कहा गया था, तहसीलदार देसुरी के आदेश क्रमांक/2021/346 दिनांक 25.02.2022 की पालना में दिनांक 20.06.2022 को भू–अभिलेख निरीक्षक (आर.आई.) व पटवारी ने गहन जांच कर मौका रिपोर्ट बनायी, उस समय रेस्पोंडेण्ट चम्पालाल वहीं उपस्थित था तथा उसने सुझाव दिया कि खसरा नम्बर 1871 के खातेदार शांति देवी की भूमि के माठ के सहारे–सहारे रास्ते की मांग की, लेकिन आवेदित भूमि से मुख्य सड़क तक पहुंचने हेतु दूरी अधिक होने से मुख्य मार्ग से लगता खसरा नं. 1870 खातेदार सज्जनसिंह पुत्र हमीरसिंह जाति राजपुरोहित निवासी मादा के पूर्वी हिस्से की माठ के सहारे–सहारे रास्ता दिया जाना उचित रहेगा तथा खसरा नम्बर 1988/1872 वाले खातेदार के लिये भी मुख्य सड़क तक पहुंचने में सुविधा रहेगी। खसरा नम्बर 1870 का पूर्वी माठ से दिया जाने वाला रास्ता सबसे नजदीक रास्ता भी है तथा इस तथ्य को रेस्पोंडेण्ट से स्वीकृत किया है, जो एक विशिष्ठ व केटेगिरियल एडमिशन है। रेस्पोंडेण्ट स्वयं स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोंडेण्ट का खसरा नम्बर 1990/1872 व सज्जनसिंह का खसरा नम्बर 1870 दोनों पूर्वी माठ से बिल्कुल नजदीक से मिलते हैं तथा मुख्य आम रास्ता सज्जनसिंह के खसरा नम्बर 1870 से पूर्णतया चिपता हुआ है तथा दिनांक 20.06.2022 की विस्तृत मौके पर की गई जांच रिपोर्ट में भी यह आया है कि पूर्वी माठ से दिया जाने वाला रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता भी है तथा इसका अर्थ कि मौके पर रास्ता पहले से उपलब्ध है तथा अधिक सुविधाजनक है। उसकी तुलना में अन्य प्रस्तावित कोई भी रास्ता अधिक सुविधानजक नहीं होकर दूर है व असुविधाजनक है। रेस्पोंडेण्ट चम्पालाल एक शिक्षित व्यक्ति है, उसको फर्द सुनाई एवं समझाई उसके बाद उसने स्वीकृति के रूप में अपने हस्ताक्षर किये हैं। ऐसी दशा में नये रास्ते की खोज कानूनन नहीं है। दिनांक 20.06.2022 को आर.आई. व पटवारी की विस्तृत रिपोर्ट पर तहसीलदार देसूरी ने दिनांक 11.07.2023 ने मातहत न्यायालय में जो रिपोर्ट प्रस्तुत किये हैं, उसमें आर.आई व पटवारी की जांच को सही माना है तथा बताया है कि खसरा नम्बर 1988/1872 के खातेदार को भी मुख्य सड़क तक पहुंचने में सुविधा रहेगी। खसरा नम्बर 1870 की पूर्वी माठ से दिया जाने वाला रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता भी है। ऐसी दशा में रास्ते की उपलब्धता के बारे में सम्पुष्टि की है, लेकिन मातहत न्यायालय ने आर.आई. व पटवारी की विस्तृत जांच रिपोर्ट व तहसीलदार की रिपोर्ट के तथ्यों को अनदेखा किया है। प्रकरण में अपीलाण्ट को मातहत न्यायालय ने न तो नोटिस जारी किया, न ही सुनने का अवसर दिया, न ही कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया, न ही इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार बनाया, न ही उचित पक्षकार बनाना उचित समझा, बल्कि अपीलाण्ट के ध्यान व ज्ञान में लाये बिना ही अपीलाण्ट के जमींन खसरा नम्बर 1986/1872 में से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

48 हैक्टेयर जमीन 0.0432 हैक्टेयर करके रेस्पोंडेण्ट को संतुष्ट कर दिया। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में मातहत न्यायालय ने अपीलाण्ट को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलाण्ट को इस बारे में पूर्व में कोई जानकारी नहीं थीं, लेकिन सबसे ज्यादा अपूर्णीय क्षति अपीलाण्ट को हुई हैं। इस कारण अपीलाण्ट इस प्रकरण में व्यथित पक्षकार है, जिसे अपील करने का पूर्ण अधिकार है। इस कारण धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट को उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी उस समय हुई जब प्रोजेक्ट प्लानिंग वाले व रेस्पोंडेण्ट स्वयं जेसीबी मशीन लेकर आये तथा खड़ी फसल में नया रास्ता बनाया, पुलिस एफ.आई. आर. हुई तथा मातहत न्यायालय से पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां दिनांक 12.08.2024 को हासिल की तथा प्रथम बार दिनांक 12.08.2024 को सम्पूर्ण निर्णय की जानकारी हुई, उस दिनांक से युक्तियुक्त समय में अपील श्रीमान् के समक्ष पेश की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश को अपास्त फरमावें।

अपील प्रस्तुत करने की अनुमति पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने निम्नलिखित न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की –

1. 2022 (2) RRT 1022
2. 2022 (2) RRT 1039
3. 2016-17 (Supp.) RRT 677
4. 2023 (2) RRT 1169
5. 2023 (1) DNJ (Rev.) 340
6. 2023 (1) RRT 548
7. 2023 (1) RRT 574
8. 2022 (2) RRT 603
9. 2017 (1) RRT 342
10. 2016-17 (Supp.) RRT 597
11. 2023 (1) DNJ (Rev.) 389
12. 2023 (1) DNJ (Rev.) 406
13. 2018 (1) RRT 574

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

14. 2019 (2) RRT 1507
15. 2017 (2) RRT 1088
16. RRT 2017 (2) 789
17. RRT 2018 (1) 467
18. RRT 2012 (1) 518
19. RRT 2009 (2) 801

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन करते हुए प्रकरण के सम्यक न्याय–निर्णयन में यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1990/1872 तक पहुंच हेतु रास्ता बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.06.2024 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। अपीलांट द्वारा धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह प्रकरण में आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार है तथा निर्णय से प्रभावित पक्षकार है। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करावें। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है। जिसे सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र सारवान होने से स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

2. अपीलांट द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में निकटतम दूरी के रास्ते का विकल्प होने के बावजूद इस पर गौर नहीं करते हुए तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं देते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। जो काबिल अपास्त है।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा ग्राम मादा में स्थित अपनी खातेदारी आराजी 1990/1872 में आवागमन के लिए पहुंच मार्ग हेतु रास्ते की मांग की गई। खसरा संख्या 1990/1872, 1988/1872, 1987/1872, 1986/1872, 1991/1872 की आराजी वस्तुतः एक ही आराजी थीं। जो सहखातेदारान के मध्य सहमति बंटवाड़ा उपरांत पृथक–पृथक दर्ज हुई हैं। उक्त सहमति विभाजन जिसे तहसीलदार देसूरी द्वारा तस्दीक किया गया है, पर अन्य

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

सहखातेदारान के साथ–साथ अपीलांट सूरजमल के भी हस्ताक्षर है। मूल खसरा संख्या 1872 की भूमि सड़क मार्ग खसरा संख्या 1867 से लगते हुए स्थित थीं तथा परस्पर सहमति से विभाजन के दौरान 1991/1872 की भूमि समस्त खातेदारान के पहुंच मार्ग हेतु सामलाती रखी गई थीं। लेकिन भूनक्शा में ऑनलाईन प्रविष्टि व तरमीम के दौरान खसरा संख्या 1991/1872 की आराजी को गैर मुमकिन रास्ता से नहीं मिलाकर त्रुटिपूर्ण रूप से खसरा संख्या 1986/1872 जो मूल खसरा संख्या 1872 से विभाजन उपरांत अपीलांट के नाम दर्ज हुआ, की आराजी की तरमीम कर दी गई। इससे अन्य सहखातेदारान के लिए पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं हो सका। पत्रावली में विद्वान विचारण न्यायालय के विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से भी इसकी पुष्टि होती हैं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश द्वारा खसरा संख्या 1986/1872 में से 48 मीटर लंबा व 9 मीटर चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया गया तथा इसके लिए नियमानुसार प्रतिकर राशि का निर्धारण भी किया गया। हमारे विनम्र मत में चूंकि रेस्पोंडेंट संख्या 1 सहित मूल अविभाजित खसरा संख्या 1872 के समस्त सहखातेदारान द्वारा सहमति से विभाजन के दौरान रास्ते के प्रावधान के लिए भूमि छोड़े जाने के लिए प्रस्तावित की गई थीं। जिसके लिए अपीलांट की भी सहमति शामिल है तथा विभाजन का नामांतरण व भूनक्शा में तरमीम के दौरान पहुंच मार्ग हेतु छोड़ी गई भूमि खसरा संख्या 1991/1872 की तरमीम गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 1867 से नहीं मिलाकर त्रुटिपूर्ण तरमीम की गई तथा रास्ता से लगते हुए भूमि सहखातेदारान अपीलांट सूरजमल खसरा संख्या 1986/1872 की तरमीम की गई। अपीलांट सूरजमल चूंकि सहमति से विभाजन के दौरान अन्य सहखातेदारान को पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने के लिए पूर्व में ही अपनी सहमति प्रकट कर चुका था। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को अपनी सहमति से विमुख होने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की हैं तथा अपीलांट द्वारा अपील में लिए गए उजरात स्वीकार योग्य नहीं हैं।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने से खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी देसूरी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 31/2021 बअनवान चंपालाल बनाम शांतिदेवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.06.2024 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **25.06.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner